

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
मुख्यालय, लखनऊ ।

पत्र संख्या 2051 एफए/06/ 349 एफए/88

दिनांक : लखनऊ : सितम्बर 8, 2006

कार्यालय आदेश
=====

परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा व्यव प्रतिपूर्ति/अग्रिम धनराशि स्वीकृत करने के लिए चिकित्सा परिचर्या मियावली 1994 लागू है। उक्त निगमावत के अरूप मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अग्रिम धनराशि/निधि/सहायक प्रतियोगिता समन्वय कार्यालय आदेश निगम मुख्यालय स्थित रोडवेज सेवा अनुभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस आदेश के अरूप क्षेत्र / ईकाई द्वारा निगम मुख्यालय स्थित केन्द्रीय भुगतान अनुभाग को योग्य पत्र प्रेषित करता है। मॉग के अरूप केन्द्रीय भुगतान अनुभाग द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र/ईकाई को धनराशि / प्राधिकार पत्र जारी किये जाते हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि इस प्रक्रिया में क्लिष्टता होता है, जिससे इलाज में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त इस संबंध में मास्किंग में निम्न सरलीकृत प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. चिकित्सा व्यव, प्रतिपूर्ति/अग्रिम धनराशि का कार्यालय आदेश पूर्ववत् निगम मुख्यालय के रोडवेज सेवा अनुभाग द्वारा ही जारी किया जायेगा जिसकी प्रति सम्बन्धित क्षेत्र के साथ साथ बजट अनुभाग एवं केन्द्रीय भुगतान अनुभाग को अनिवार्य रूप से पूरुठार्कित की जायेगी।

2. मास्किंग में सम्बन्धित क्षेत्र/ईकाई द्वारा मुख्यालय को मॉग पत्र प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. रोडवेज सेवा अनुभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश की प्रति को केन्द्रिय भुगतान अनुभाग निगम मुख्यालय को मॉग पत्र की मान्यता प्राप्त करते हुये सम्बन्धित क्षेत्र/ईकाई को स्वीकृत धनराशि का प्राधिकार पत्र जारी करेगा। जिसकी एक प्रति बजट अनुभाग को अनिवार्य रूप से पूरुठार्कित की जायेगी। जारी किये जाने वाले प्राधिकार पत्र में धनराशि के साथ साथ पूर्ण विवरण भी अंकन किया जायेगा।

4. सम्बन्धित क्षेत्र/ईकाई द्वारा निर्देशानुसार यथा आवश्यक धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यदि किसी स्थिति में धनराशि या उसके किसी भाग के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती है तो सम्बन्धित क्षेत्र/ईकाई इस धनराशि को निगम मुख्यालय के केन्द्रीय भुगतान अनुभाग को वापस करेगा और इसकी सूचना रोडवेज सेवा अनुभाग एवं बजट अनुभाग को देगा।

5. सेप्टेम्बर मास समाप्त होने पर समस्त क्षेत्र/ईकाईयों द्वारा इस मास में प्राप्त एवं उपयोग की गई धनराशि का मासिक उपयोग विवरण पत्र निगम मुख्यालय के केन्द्रीय भुगतान अनुभाग एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्रीय भुगतान अनुभाग क्षेत्र/ईकाईयों से प्राप्त मासिक उपयोग विवरण पत्र का परीक्षण कर प्रत्येक मास वित्त निदेशक को वस्तुस्थिति से अवगत करायेगा।

हो/- दीपक त्रिवेदी
प्रबंध निदेशक

सहसंस्थापक/समदिनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मण्डलीय प्रधान प्रबंधक, 3050 परिवहन निगम, लखनऊ/वाराणसी/बरेली/गुजराबाद
2. प्रधान प्रबंधक, 3050 परिवहन निगम, केन्द्रीय/ATOTM मनोहर लोडिया कार्यालय, कानपुर।
3. प्रयागेश्वरी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक / सेवा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।
5. अधिकांश अधिकारी, पूर्व/पश्चिम, भवन डाकवा 3050 परिवहन निगम, मुख्यालय, लखनऊ।
6. प्रबंधक, कार केवजान, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ।
7. समस्त सहायक प्रबंधक (वित्त)/सहायक क्षेत्रीय लैडाधिकारी, 3050 परिवहन निगम।
8. सहायक प्रबंधक, केन्द्रीय भुगतान, बजट, 3050 परिवहन निगम, मुख्यालय, लखनऊ।

१३१ पी० नम० १
वित्त निदेशक